2018/00650

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 56/2018 (राजसमन्द डिक्री)

हीरा पिता करमा जी खरवड (राजपूत) निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलार्थी

बनाम

1. तेजराम पुत्र अंबालाल बोहरा जैन निवासी केलवाडा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द (राज.)
2. खेमा पुत्र डूंगा खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती मगू बेवा लखमा खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द के बजाय :–

   3/1. श्रीमती धूली बाई पत्नी नाथूसिंह राजपूत निवासी तलादरी, तहसील कुम्भलगढ़

   3/2. श्रीमती राजी बाई पत्नी लहरसिंह चदाणा राजपूत निवासी तलादरी तहसील कुम्भलगढ़
4. भूरा पुत्र माईंग खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द के बजाय उनके कानूनी वारिस

   4/1. पृथ्वीसिंह पिता स्व. भूरा खरवड

   4/2. मोहनसिंह पिता स्व. भूरा खरवड

   4/3. श्रीमती हीरा पुत्रवधु स्व. भूरा खरवड के बजाय :–

   4/3/1. नेतू बाई पुत्री स्व. प्रकाशसिंह खरवड

   4/4. श्रीमती लछू बाई पुत्री स्व. भूरा खरवड सभी निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द
5. वगता पुत्र राजा खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
6. हरसिंह पुत्र राजा खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द
7. दाऊ पुत्र धलूसिंह चदाणा निवासी धोरण तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
8. वजींग पुत्र विजय पुत्र मन्ना चदाणा निवासी धोरण तहसील कुम्भलगढ़ जिला राजसमन्द
9. खेमा पुत्र सरदारसिंह चदाणा राजपूत निवासी धोरण तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

10. शंकर पुत्र वगता खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

11. नाथू पुत्र वगता खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

12. वरदा पुत्र भगा भील निवासी मोरचा उपली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

13. लालू पुत्र कुशाल भील निवासी मोरचा उपली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

14. वजेसिंह पुत्र काना खरवड निवासी मोरचा उपली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

15. केशरसिंह पुत्र काना खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

16. प्रेमसिंह पुत्र नंदा खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

17. नवलसिंह पुत्र नंदा खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

18. रामींग पुत्र वरदा खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
उदयपुर

19. भूरा पुत्र वरदा खरवड निवासी मोरचा निचली भागल, तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द के बजाय

19/1. लालसिंह पिता स्व. भूरा राजपूत

19/2. श्रीमती हीमी बाई पिता स्व. भूरा राजपूत पत्नी टीलासिंह राजपूत निवासी ओलादर तहसील कुम्भलगढ

19/3. श्रीमती हंजा पुत्री स्व. भूरा राजपूत पत्नी कन्नासिंह राजपूत निवासी कडिया तहसील बडगॉव

19/4. श्रीमती नानी पुत्री स्व. भूरा राजपूत पत्नी पन्नासिंह राजपूत निवासी कडिया तहसील बडगॉव

19/5. श्रीमती नाथी पुत्री स्व. भूरा पत्नी देवीसिंह राजपूत निवासी कडिया उपली भागल तहसील बडगॉव

20. परथा पुत्र घीसा खरवड निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

21. भगा पुत्र रता खरवड निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

22. सोहन पुत्र सूरता दर्जी निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

23. मिठू पुत्र सूरता दर्जी निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

24. छगना पुत्र सूरता दर्जी निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

25. देवा पुत्र सूरता दर्जी निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

26. डालू पुत्र भंवरलाल जाति ढोली निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

27. श्रीमती मांगी बाई बेवा भंवरलाल ढोली निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

28. किशनलाल पुत्र प्रताप ढोली निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

29. केशा पुत्र दलींग खरवड निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

30. भेरा पुत्र दलींग खरवड निवासी निचली भागल मोरचा तहसील कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

31. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कुम्भलगढ, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते उदयपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ़ दिनांक 15.06.2018 प्रकरण संख्या 43/2007 वाद पत्र

---::---

उपस्थित :– 1– श्री फतह लाल बोहरा अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री एस.एल.लठ्ठा अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1

---::---

निर्णय **दिनांक 15–12–2025**

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोरचा में वादपत्र की कलम संख्या 01 के परिशिष्ट "क" के खाता संख्या 158 वर्णित कुल आराजियात किता 88 रकबा 45 बीघा भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या [illegible] 2 हिस्सा है। परिशिष्ट "ख" के खाता संख्या [illegible] किता 1 रकबा 10 बिश्वासीं में प्रति[illegible] 8 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या [illegible] 8 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9, 10 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

1/2 हिस्सा है। परिशिष्ट "ग" के खाता संख्या 159 आराजी नम्बर 253 किता 1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/12 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 18 से 22 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 23 से 27 का 1/2 हिस्सा है। परिशिष्ट "घ" के खाता संख्या 160 आराजी नम्बर 3557 किता 1 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 से 10 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 28 से 32 का 1/4 हिस्सा है। परिशिष्ट "ड" के खाता संख्या 163 वर्णित कुल आराजियात किता 5 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7, 8 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9, 10, 28, 29 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18, 19, 20, 49 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 33 से 37 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 47, 48 का 1/12 हिस्सा है। परिशिष्ट "च" के खाता संख्या 16 आराजी नम्बर 3238 किता 1 रकबा 2 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 33 से 46 का 2/3 हिस्सा है। उक्त आराजियात पर इसी हिस्से अनुसार पक्षकार काबिज चले आ रहे है। उक्त परिशिष्ट "क" में प्रतिवादी संख्या 6 का 1/2 हिस्सा, परिशिष्ट "ख" में प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा परिशिष्ट "ग" में प्रतिवादी संख्या 6 का 1/24 हिस्सा परिशिष्ट "घ" में प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा परिशिष्ट "ड" में प्रतिवादी संख्या 6 का 1/4 हिस्सा परिशिष्ट "च" में प्रतिवादी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा होकर उसी अनुसार काबिज है। प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा उक्त परिशिष्टों में अंकित अपने हिस्से को दिनांक 19.04.2005 को वादी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से वादी उक्त हिस्से पर काबिज चला आ रहा है, किन्तु उक्त आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने अपनी खातेदारी एवं आधिपत्य की बताते हुए दिनांक 11.07.2005 को सहायक कलेक्टर [illegible] में वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर उसके साथ धारा [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं वादी के विरुद्ध [illegible] निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली, जिसकी अपील वादी द्वारा न्यायालय [illegible] बन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी के यहॉ विचाराधीन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
सत्यमेव जयते
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 से 4 अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करते है बेदखल करने पर उतारु है। अतः परिशिष्ट ''क'' में 1/2 हिस्सा, परिशिष्ट ''ख'' में 1/8 हिस्सा परिशिष्ट ''ग'' में 1/24 हिस्सा परिशिष्ट ''घ'' में 1/4 हिस्सा परिशिष्ट ''ड'' में 1/4 हिस्सा परिशिष्ट ''च'' में 1/6 हिस्से का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त अनुसार विभाजन किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावें।

2. प्रतिवादी संख्या 6 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर बताया कि प्रतिवादी संख्या 6 ने उक्त परिशिष्टों में अंकित अपने हिस्से की भूमि को दिनांक 19.04.2005 को वादी को 5,00,000/–रुपये में विक्रय कर कर्जा सुपुर्द कर दिया है। अतः वादी का वाद स्वीकार करने में उसे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 15.06.2018 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी का वाद स्वीकार किया, जिससे रुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे दिनांक 03.10.2018 को प्रस्तुत की गई है।

सत्यमेव जयते
उदयपुर

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से अभिभाषक श्री एस. एल. लठ्ठा उपस्थित हुए, शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष बहस सुनी गई।

5. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुये बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 2, 11, 12, 13, 26 के वारिसों को रेकर्ड में लिया जाना अंकित है, जबकि प्रारम्भिक डिक्री के निर्णय में उक्त व्यक्तियों के वारिसों [illegible] है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 10, 11, [illegible] 13, [illegible] 19, 20, 23, 25, 26, 32, 35, 42, 43, 49 जो कि मृतक है, [illegible] संबंध कोई भी आदेश पारित नही किया है, न ही उनके उतराधि[illegible]यों को रेकर्ड पर लिया गया है, जबकि विभाजन के बाद में सभी आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पक्षकार है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 6 ने वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विक्रय को स्वीकार किया है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 13.12.17 अनुसार प्रतिवादी संख्या 2, 11, 12, 13 व 26 के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश हुआ है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 15/2 लेहरसिंह पिता रूपसिंह की मृत्यु भी हो जाने का कथन अंकित किया है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो डिक्री जारी की गई है उसमें मृतक के वारिसान का नाम अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है, वह मृत व्यक्तियों के विरूद्ध जारी की गई है जबकि विधि अनुसार मृत व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री जारी नहीं की जा सकती। तदनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2018 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेकर एवं उन्हें विधिवत् सुनवाई का अवसर प्रदान कर साक्ष्य सबूतो के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 09.02.2026 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुम[illegible] [illegible]से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:09:55 IST
Reason: SelfAttested

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर